

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा फरवरी २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- (i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 4 (1) के संदर्भ में, माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए माननीय राष्ट्रपति को क्रमशः श्री संजय कोठारी, आईएस (सेवानिवृत्त) तथा सुरेश एन.पटेल, पूर्व प्रबंधक निर्देशक तथा सीईओ, आंध्रा बैंक के नामों की सिफारिश की गई।
- (ii) दिनांक 11.02.2020 को सीजीएलई-2017 के 371 एसओ को नियुक्ति पत्र जारी किया गया।
- (iii) कर्मचारी चयन आयोग ने निम्नलिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए:
  - दिल्ली पुलिस में निरीक्षक, सीआईएसएफ में सीएपीएफ तथा सहायक उप-निरीक्षक परीक्षा, 2018 (पेपर-II)
  - चरण-VII/2019 चयन पद परीक्षा, (मैट्रिक, उच्चतर माध्यमिक (10+2), स्नातक तथा उससे ऊपर के पद)
  - वार्षिक विभागीय टाइपराइटिंग कौशल परीक्षा तथा वार्षिक विभागीय आशुलिपि कौशल परीक्षा-2019
  - कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा, 2018 (अंतिम)
  - पोस्टल सहायक, सॉर्टिंग सहायक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, डीईओ, एलडीसी आदि पदों के लिए टाइपिंग परीक्षा/डेटा एंट्री स्पीड परीक्षा (डीईएसटी) हेतु उम्मीदवारों को बुलाने के लिए संयुक्त उच्च माध्यमिक (10+2) स्तर परीक्षा (सीएचएसएलई), 2018
- (iv) पीईएसबी, डीओपीटी के 12 (बारह) पदों (सीएमडी/एमडी के 05 पद और निदेशक के 07 (सात पद) के लिए विज्ञापन जारी किया गया।
- (v) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुसूची क और ख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में 09 मामलों (05सीएमडी/एमडी और 4 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की उन्नीस (19) नियुक्तियां, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में एक (01) मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति, गैर-सीएसएस पद में नियुक्ति के एक (01) प्रस्ताव, सेवा विस्तार के चार (04) प्रस्तावों और समयपूर्व संप्रत्यावर्तन के तीन (03) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिवालय/एसीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
- (vi) माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2020 को विज्ञान भवन में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों (सीसीए) और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (सीटीआई) के साथ एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई-गोट) पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि उन्हें ऑनलाइन विषय-वस्तु डिलीवर करने के लिए एक नई डिजीटल क्षमता विकास संरचना से परिचित कराया जा सके और पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर सरकारी पदाधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की जांच की जा सके।

(vii) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) में फरवरी, 2020 के दौरान 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसमें 01 सीएसएस-सीटीपी (स्तर- ख-90) और 01 सीएसएसएस-सीटीपी (एल-वी-01) कार्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 487 थी।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए:-

- (i) दिनांक 11.02.2020 के का.ज्ञा.सं. एबी-14017/30/2011-स्था. (आर.आर) के माध्यम से संगठित समूह 'क' सेवा के अधिकारियों के लिए अकार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाना।
- (ii) दिनांक 11.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 6/2/2019-स्था. (वेतन-1) के माध्यम से संगीत, नृत्य और ड्रामा में अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भागीदारी।
- (iii) दिनांक 18.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 11013/4/2018-स्था. क-III के माध्यम से प्रशासन और संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के बीच आधिकारिक आचरण-उचित प्रक्रिया का पालन करना।
- (iv) दिनांक 18.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 11012/72017-स्था. क-III के माध्यम से पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए सतर्कता निकासी प्रदान किया जाना।
- (v) दिनांक 27.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 11013/1/2016-स्था. क-III के माध्यम से सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15 (1) (ग) के तहत निर्वाचित कार्यालय धारित करने के लिए मंजूरी लेना।
- (vi) दिनांक 19.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 43020/2/2016-स्था. क-IV के माध्यम से एलटीसी के उद्देश्य हेतु प्राधिकृत ट्रेवल एजेंट से वायु टिकट खरीदने हेतु छूट।
- (vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार दीपसमूह और लक्षद्वीप समूह में कार्यरत केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधाएं-दिनांक 28.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 31011/12/2015-स्था. क-IV के माध्यम से 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।
- (viii) दिनांक 13.02.2020 के का.ज्ञा.सं. 49014/5/2019-स्था.ग के माध्यम से अनियत कामगारों पर समेकित अनुदेश।